प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या //8

दिनांक 08.07.2016



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र ( अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन )



नवीकरण संख्या

पत्रावली संख्या दिनांक

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति -शैक्षिक एवं आर्थिक विकास समिति उठप्रठ, बापू भवन, चौथा तल, सर्विवालय, से पांच वर्ष की अविध के लिए नवीकृत किया गया है। 15-01-2016 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है। 1200 भोसाइटी के रजिस्ट्रार जारी करने का दिनांक.....

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सो० फर्म एवं चिट्स-21-11-2014-(1374)-2,00,000 प्रतियां-(क०/टी०/आफसेट)।

13-04-2016

11011

wielflas Provosili

1- 1000 81 105

2- 1000 00 000

५- शंकत का कार्यक्षेत्र

वलार प्रदेश अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं आधिक विकास समिति, उत्तर प्रदेश लखनऊ। बापू मदन, चतुर्च तल, सचिवालय, वलार प्रदेश लखनऊ। सम्पूर्ण वलार प्रदेश।

संख्य की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ष

1- शंकरपड सदस्य

2- आजीवन सदस्य :

3- सामान्य सदस्य

वे व्यक्ति संस्थापक सदस्य कहलायेंगे जो संस्था को निःशुल्क, निःस्वार्थ माव से राजकीय सेवा में हुये सेवा प्रदान करेंगे। वे व्यक्ति होंगे जो संस्था/समिति के नामित शासकीय प्रद

वे व्यक्ति होंगे जो संस्था/समिति के नामित शासकीय पद बारक नि:शुक्क, नि:स्वार्थ भाव सेवा प्रदान करेंगे, वह आजीवन

सदस्य कहतायेथे।

अध्यक्त द्वारा नामित शासकीय सेवा के व्यक्ति नि:शुल्क, नि:स्वर्ध्व माव से सेवा प्रदान करेगा वह सामान्य सदस्य

कहासायेंगे।

t- सदस्यता औ समाचित

1- मृत्यु हो जाने पर।

2- यागल या दिवालिया हो जाने पर।


3- किसी नैनिक अपराध में न्यायालय द्वारा दम्बित होने पर।

4- संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर।

5- स्थानान्तरण होने पर।

6- शासन द्वारा समिति मंग करने पर।

7- सेवा निवृत्त होने पर।



fates gara say gara say

TO THE MARKET



- संस्था के अंग
- 1- साधारण सभा
- 2- प्रबन्ध कारिणी / समिति
- साधारण सभा

गठनः

बैठकः

संस्था के संस्थापक तथा आजीवन तथा सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा। साधारण समा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार

तथा विशेष बैठक आवश्यतानुसार कभी भी बुलायी जा सकती हैं।

सूचना अवधि :

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व लिखित

रूप से दी जायेगी।


गणपूर्ति :

साधारण समा के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति

गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक आधिवेशन की तिथि

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जायेगी।



प्रबन्ध कारिणी समिति का निर्वाचन करना।

संस्था का वार्षिक बजट पास करना।

संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना। 3-

नियमों में संशोधन, परिवर्तन, व परिवर्धन करना।

सत्यवप्रतिलिष

कर्म सोअवरोल वया चित्र ( क्रिक्ट ल्यान्स

कार्यात्मर विष्टी एकिस्ट्रार

#### 2- प्रबन्ध कारिणी समिति :

गठन:

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष—1, सचिव/कोषाध्यक्ष—1, सदस्य—4, उप सचिव—1 तथा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य चार होंगे, इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या—11 होगी आवश्यकतानुसार संख्या घटायी व पढ़ाई जा सकती है। बैठक

प्रबन्ध कारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कमी भी बुलाई जा सकती है। सूचना अवधि :


प्रबन्ध कारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घन्टे पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी। गणपूर्ति :


प्रबन्ध कारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी। रिक्त स्थानों की पूर्तिः

सोधारण सुमा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

1— समिति तथा समिति से सम्बन्धित अन्य शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु अभ्यर्थियों के शक्षिक योग्यता आदि का निर्धारण।

2— समिति तथा समिति से सम्बन्धित संस्था के कार्मिकों की सेवा शर्तो यथा वेतनमान, अविकाश, भत्ता एंव दैनिक भत्ता अग्रिम की स्वीकृति, सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता एंव दैनिक भत्ता निदेशक, मण्डल के सदस्य को समिति के नियमावली के अनुसार अनुमन्य।





3- संस्था में धन एंव सम्पति की व्यवस्था।

4- संस्था की ओर से अनुबन्ध की प्रकिया का निर्धारण।

5— सामान्य भविष्य निधि में धनराशि जमा करने की नीति और प्रक्रिया का निर्धारण। 6-समीक्षा के आधार पर समय-समय पर अन्य योजनाओं को परिषद द्वारा समाप्त

7- शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्घारण।

8- परीक्षा हेतु पेपर तैयार करने मुख्य एंव सहायक अधीक्षक परीक्षा कैम्प और सहायक कैम्प आफिसर, परीक्षक कीड़ा, टेबुलेटर आदि को पारिश्रमिक हेतु परिषद द्वारा संस्तृति।

9 समिति के कार्यक्रम की विस्तृत योजना तैयार करना तथा कार्यान्वयन।

10- समिति के किसी संस्था की मान्यता की प्रक्रिया, स्थिति शर्तों का निर्धारण।

11-अ- शिक्षा विभाग द्वारा नियम पाठयकम का प्रभावी कार्यान्वयन।

ब-समिति से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न विकास की गतिविधियों का आयोजन शिक्षा विभाग के नियत मानकों के अनुरूप परिषद द्वारा निर्धारण।

12— सेमिनार तथा विकास के अन्य पाठयकम से सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों के हित में आयोजन आदि का निर्धारण।

13-अ- शैक्षणिक कार्यक्रम यथा-शोध एंव सर्वेक्षण कार्यक्रम, वास्ताविक कठिनाइयाँ, विद्यालयों के अध्यापकों एंव छात्रों की दृष्टि से शोध से प्राप्त उपायों का त्वरित समाधान।

ब्-नवीन तकनीकी शिक्षा की प्रवृत्ति तथा विकास के समय-समय पर चिन्हांकित राष्ट्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप संगठन द्वारा तैयार कार्यकम।

4 सिक्ट्रा की उन्नति के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना।

विन्य कारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

ार्यकालः क्र

सनाव अल्याच विभाग

एतर वर्षा शासन।

किवेशक समाज कल्याण

सत्य प्रतिलिध कार्यालय जिल्ली राजिस्टार फर्स सोसाइन तथा चिद्र कार्मा विकास वारा निकास

# प्रबन्ध कारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

#### 1-अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य

1-अ-अध्यक्ष को निम्न शर्तों के अनुसार एक इकाई से दूसरी इकाई में धनराशि पूर्नविनियोग का अधिकार-

1- कुल स्वीकृत व्यय से अधिक नही।

2- पुर्नविनियोग किसी भी योजना में अगामी वर्षों के परिव्यय से अधिक नहीं होगा। आ—अध्यक्ष को स्टोर,पुस्तकालय आदि के रूपया—10,000 / -(दस हजार) तक की छति जिसमें किसी कार्मिक की गम्भीर लापरवाही न हो को निक्षेप करने का अधिकार इ— अध्यक्ष को प्रथम श्रेणी और समूह—1 से 4 श्रेणी द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही (प्रतिनियुक्त पर आये अधिकारियों को छोडकर) प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के प्रकरण उनके विभाग को संस्तुति का अधिकार। ई- तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के दण्ड की अपील की सुनवाई का अधिकार। उ- स्कूल / कालेजों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दण्ड के विरूद्व अपील की सुनवाई का अधिकार।

2- आर्वतक एंव अनावर्तक व्यय जो सचिव के अधिकार से ऊपर हो, तथा धनराशि उपलब्ध हो, की स्वीकृति का अधिकार। सचिव / कोषाध्यक्ष के अधिकार एंव कर्तव्य :


1- समिति के नियमित संचालन तथा नियमावली के प्रमावी अनुपालन देख-रेख का मुल्तरदायित्व सचिव का होगा।

कर्मा द्वारा निर्देशित समिति, परिषद, स्थाई समिति, चयन समिति और अन्य किसी समिति की बैठकों का संयोजक।

🗲 कर्मभारियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा अनुशासनिक कार्यवाही।

4— कन्दीर्जन्द या विविध व्यय प्रकृति के किसी भी देयक के भुगतान सम्बन्धी अधिकार।

5- निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित बैक में समिति के नाम खाता खोलने और उसका



6— समिति द्वारा संचालित स्कूल/कालेजों का निरीक्षण तथा किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु नामित करना।

7- सेवा नियमावली के अनुसार कर्मचारियों को अवकाश भत्ता, भवन किराया, क्षतिपूर्ति,

यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा, ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति।

8— विशेष केस और कारणों के आधार पर स्वविवेक के अनुसार किसी कर्मचारी सदस्य को यात्रा पर वास्तविक व्यय आहरण की अनुमति।

9-समिति के लेखा अभिलेखों के परीक्षण हेतु आडिटर की नियुक्ति।

10— अध्यक्ष, सचिव एंव उप सचिव की सहमित से बजट आगणन पुनरीक्षित आगणन तैयार करना तथा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना।

11-समिति के कार्मिकों के वेतन भत्ते का भुगतान करना।

12- समस्त यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान करना।

13- स्कूल / कालेजों का आन्तरिक आडिट करना।

14- समिति के लेखा का विधिवत रख-रखाव।

15- सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत बिलों का भुगतान करना।

16- कैश बुक लेखा सम्बन्धी पंजिकाओं तथा उनका नियमित रख-रखाव।

17— आहरित धनराशि का नियमानुसार वितरण सुनिश्चित कराना। उप सचिव के अधिकार और कर्तव्य:

अ— अध्यक्ष एंव सचिव की सहमति के प्रशासनिक एंव शैक्षिक कार्यों का सम्पादन।

आ- सचिव के कार्यों में सहयोग के साथ निम्न कार्यो का सम्पादन :--

1— शैक्षिक कार्यक्रमों को तैयार करना, अनुसूचित जनजाति के छात्रों का स्कूल / कालेज कर्म, में परीक्षा, प्रवेश, पाठकम का प्रारूप कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन,

2- संभिति के स्कूल / कालेजों का निरीक्षण करना।


3- प्रेयौगशालाओं की स्थापना।

4- पुस्तकालय हेतु पुस्तक एवं चित्रों का कय।

5- संस्थाओं को शैक्षणिक सहायता एंव उपकरणों की आपूर्ति।

6-भारत स्काउट गाइड़, रेडकास, एन०सी०सी० आदि की जानकारी छात्रों को कराना।

प्रतिभावान छात्रों को गणित ओलम्पिक राष्ट्रीय प्रतिभा आदि की परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करना।



8— समिति की स्कूल / कालेजों में शोभा एंव अनुसन्धान का कार्य।
9— समिति के पुस्तकालय का रख-रखाव एंव सुदृढ़ीकरण।
ई— कार्यालय से शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित प्रकरणों पर पत्राचार।
ई— समिति से सम्बन्धित समस्त स्थापना तथा तत्संबंधी विषयों पर पत्राचार आदि का कार्य।
संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकिया:

साधारण बैठक के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तथा भारत/सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों/नियमों के अनुसार संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन किया जायेगा।


संस्था का कोष(लेखा-व्यवस्था):

### वर्तमान में परिचालित व्यवस्था

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीय कृत बैक में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा, जो अध्यक्ष एंव सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से परिचालित होगा। समिति द्वारा दिनांक 28.07.2015 को लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधन

एकलव्य मॉडल आवसीय विद्यालयों के संचालन हेतु संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीय कृत बैक में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा, जो प्रधानाचार्य एकलव्य मॉडल आवसीय विद्यालय तथा समिति के सचिव / कोषाध्यक्ष (निदेशक जनजाति विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ) के संयुक्त हस्ताक्षर से परिचालित होगा।

(मविष्य में अन्नजाति विकास विमाग द्वारा जो मी एकलव्य माडल आवसीय विद्यालय, संचालित किये जायेगे का उक्त समिति के नाम से पृथक—पृथक खाता खोला जायेगा तथा खाते का परिचालन उस विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा समिति के सचिव/कोषाध्यक्ष (निदेशक जनजाति विकास विमाग उत्तर प्रदेश लखनऊ) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया



বৈতি ক্রত বিশ্ব

सत्य प्रतिलिपि गरिष्ठ सहायक कार्यालय डिप्टी रंजिस्ट्रार कार्या सोग्रम्हरीज तथा वित्य

## संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):


संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

संस्था द्वारा अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था या संस्था के विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व सचिव पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों पर होगा। संस्था के अभिलेख::

- 1- सदस्यता रजिस्टर।
- 2- कार्यवाही रजिस्टर
- 3- स्टाक रजिस्टर ।
- 4- कैशबुक, लेजर आदि।

संस्था का विघटन सोसाइटी रिजस्ट्रेशन ऐक्ट-21 सन् 1860 की घारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।



भरम प्रतितालाप गरिप्त सम्बद्ध कार्याच्या विष्टी स्तिक्ट्रार भरते स्वीक्ट्रीय ज्या विकट